न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 68/अपील/2024 (GCMS No. 2024/225)	12.11.2024	13.10.2025

1. रामकुंवार आ. धन्ना जाति मीणा,
   निवासी ग्राम जावटी खुर्द, तहसील एवं जिला बून्दी
2. श्रीमती शान्तिबाई पत्नी स्व. गोपाल जाति भील,
   निवासी ग्राम जावटी खुर्द, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलांटस

बनाम

सन्तू आ. नेनगा जाति हरिजन,
निवासी नयागांव, तहसील एवं जिलाबून्दी
हाल निवासी डी.सी.एम. पॉवर हाउस कोटा (राज0)

— रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से श्री देवराज गोचर, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 बउनवान सन्तु बनाम रामकुंवार अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है। रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया जाकर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को हस्तगत अपील में चुनौती दी है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर कमांक 68/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS नं. 2024/225 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम झरबालापुरा की खसरा संख्या 1792/1289 रकबा 1.6187 हैक्टेयर को अप्रार्थी सं. 1 सन्तू आ. नेनगा जाति हरिजन निवासी झरबालापुरा का आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के बाद न तो कब्जा काश्त रहा है और न ही आवंटी ने उक्त कृषि भूमि पर कभी काश्त की है। कार्यालय पटवार मण्डल नयागांव की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रामकुंवार एवं प्रार्थीया शान्तिबाई द्वारा उक्त बंजड भूमि को काफी रूपया खर्च करके खेती योग्य भूमि बनाने से लेकर 40–45 वर्षो से आज दिनांक तक कब्जा काश्त सम्मिलित रूप से करते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 1 या उसके प्रतिनिधि का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट सन्तू द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी के समक्ष साधारण प्रकृति का दिनांक 12.07.2024 को इस आशय का पेश किया कि उसकी गैर खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2024 को करवा लिया है उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर रखा है, अतिकमी को बेदखल कर रेस्पोडेंट को कब्जा संभलाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 183–बी आर.टी.एक्ट में दर्ज कर अपीलांटस को नोटिस जारी करने पर अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी को कब्जा नहीं दिलाये जाने बाबत निवेदन किया गया। इसके बावजूद भी तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 26.09.2024 को अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा रेस्पो. को दिये जाने का आदेश दिया एवं 50 रूपये शास्ति आरोपित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को रेस्पोडेंट से जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया और न ही अपीलांटस को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। आवंटन पत्रावली पर रेस्पोडेंट ने दिनांक 12.07.1978 को तहसीलदार बून्दी कैम्प नयागांव में आवेदन पेश कर आवंटित भूमि को निरस्त करवाने बाबत एवं जमा रकम वापिए दिए जाने का निवेदन किया था इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। उक्त आवंटन के संबंध में अपीलांटस द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने बाबत धारा 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम,1970 के तहत आवंटन दिनांक 04.1.1977 को निरस्त किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.90.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार सन्तु आ. नेनगा जाति हरिजन है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के बाद से ही गैर खातेदार सन्तू का कब्जा काश्त रहा है लेकिन भूमि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.06.23 अनुसार उसकी गैर खातेदारी भूमि पर अपीलांटस द्वारा कब्जा कर लिया जाना पाये जाने पर रेस्पो. द्वारा तहसीलदार बून्दी को धारा 183(बी) आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांटस को बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलांट अनुसूचित जाति के गैरखातेदार की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का गैर कानूनी कब्जा पाया जाने से आदेश दिनांक 26.09.2024 जारी कर अतिक्रमी अपीलांटस को बेदखल कर जुमाने से दण्डित किया गया, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से बहाल रखा जाकर अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 अनुसार ग्राम झरबालापुरा की कृषि भूमि खसरा सं. 1792/1289 रकबा 1.6187 हैक्टेयर का गैर खातेदार सन्तु पुत्र नेनगा जाति हरिजन है। उक्त गैर खातेदार सन्तू द्वारा दिनांक 12.01.2024 को तहसीलदार बून्दी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया जाकर उसकी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.23 के अनुसार उसकी कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर रखा है, प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 26.09.2024 पारित किया गया, जिसमें धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अप्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त भूमि पर प्रार्थी को कब्जा दिलवाया जाने के आदेश दिये गये है।

अपील में अपीलांट की प्रथम आपत्ति है कि उक्त भूमि पर अपीलांटस का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा काश्त होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है, लेकिन इस संबंध में अपीलांटस द्वारा पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, पटवारी रिपोर्ट में अपीलांटस का कब्जा होने के तथ्य के सबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। जिसके अभाव में पुराना कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांटस की दूसरी आपत्ति है कि रेस्पोडेंट ने उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटी रेस्पोडेंट ने आवंटन निरस्त करने हेतु कभी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। आवंटी की पत्नी द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया जाना कोई महत्व नहीं रखता है, जब तक कि स्वयं आवंटी गैर खातेदार अपने गैर खातेदारी अधिकारों को समर्पण सरकार करने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है। प्रेमबाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाद आवंटी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आवंटन को बहाल रखने की सहमति देते हुये आवंटन दिनांक 04.11.1977 की किश्त जमा करवाई जाकर रसीद पेश की गई, तत्पश्चात आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया जाकर दिनांक 23.01.1979 को दखलनामा दिया गया। अपीलांटस की यह भी आपत्ति है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांटस द्वारा दिनांक 04.04.2024 को उपस्थित न्यायालय आकर जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। इसके बाद तीन अवसर प्राप्त किये जाने के बाद दिनांक 19.06.24 को जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से दिनांक 23.08.24 को जवाब कार्यवाही मय दस्तावेजात पेश की गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष साक्ष्य पेश करने का समुचित पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर बिना विधिक अधिकार के अतिक्रमी धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत है।

यहां उल्लेखनीय है कि धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही है। यदि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा मानता है तब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर अन्य व्यक्ति को कभी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, अतिक्रमी व्यक्ति को कभी भी बेदखल किया जा सकता है, जैसा कि आर. आर.डी. 1998 पेज 396 में भी प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर दिनांक 26.09.2024 को आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी